| ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| 5/08/19 | पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। प्रतिवादी सं. 2 की तामील सम्यक् रूप से लौटी। बार-बार प्रतिवादी को आवाज मजमून लगाई गई, असालतन व/या वकालतन कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी नं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 का जवाब तीन अवसरों पर भी अप्राप्त होने से पूर्व में की गई एक पक्षीय कार्यवाही के अनुसरण में, बहस वकील वादी की, एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली आदेशार्थ दि. 16/08/19 को पेश हो। |
| 16/08/19 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वादी पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली पर वादी के वाद पत्र के कथनों का अनुशीलन किया गया। तहसीलदार खंडेला के वाद कथनों से व जमाबंदी संवत 2074-2077 खाता संख्या नया 27 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 217 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की काश्तकारी अधिकारों में बारानी3 के रूप में रिकॉर्डेड है। फर्द मौका पटवारी दिनांक 30.5.19 एवं प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 से स्पष्ट है कि तन ग्राम मेघपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 217 रकबा 0.79 है. में श्री बलराम श्री फूलचंद श्री प्रमोद श्री सुभाष श्री संतोष श्री राम नारायण द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु काम में लिया जा रहा है। आंशिक नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का धारा 90 क की रिपोर्ट्स पटवारी हल्का दिनांक 16.3.19 एवं दि. 25.5.19 जो उक्त खसरा नंबर 217 की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से बिना आज्ञा के रूपांतरण कर लिए जाने से संबंधित है। उक्त समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन मनन किया गया, जिनसे यह साबित होता है कि उक्त खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि भूमि उपयोग लिया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों "अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली" के अनुसरण में उक्त प्रकार का उल्लंघन, जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई, उससे असंगत है। यह भू उपयोग परिवर्तन किसी प्रकार से सुधार की श्रेणी में भी नहीं आता है। |

Scanned by CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|

विधिक स्थिति के संबंध में कानूनी नजरों का अनुशीलन इस प्रकार है

- According to Mansingh versus Jagat Narayan AIR 1934 all 312- erecting an unauthorized building on land are not act of improvement but acts detrimental to the land.
- Sec 5(19) Rajasthan Tenancy Act 1955- improvement- if the whole land is covered with the dwelling house or other Constructions it would not be an improvement, shri Mohan vs Sitaram 1996(1) RLR 183: 1997(3) WLC 28: 1997 RRD 45
- Mere erection by the tenant of permanent structure upon the land let to him within the knowledge of the lesser would not be sufficient to arise an equitable estoppels against the lesser precluding him from suing for ejectment.(Nand kishore vs Damodar Balaji AIR 1942)
- Ordinarily, a tenant can make any improvement, he has no authority to use it for any purpose inconsistent with the purpose for which the land has been given to him.( Bhinda Prasad vs Bihari Tewari AIR 1936)

उक्त विधिक स्थिति व कानूनी नजीरों के संदर्भ में प्रतिवादी 1ता 4 द्वारा काश्तकारी भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति की अकृषि उपयोग में लिया जाना 'कृषि भूमि के लिए अहितकर होकर' खातेदारी शर्त भांग के कारण, बेदखली के काबिल है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य होकर आदेश दिया जाता है कि

आदेश

आराजी खसरा नंबर 217 रकबा 0.79 है. किस्म बारानी3 राजस्व ग्राम मेंघपूरा पटवार मंडल भादवाडी तहसील खंडेला को सिवाय चक दर्ज कर कब्जे-राज लिया जावे एवं उक्त आराजियात से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है। उक्त अनुसार तहसीलदार खंडेला को तहरीर जारी हो, रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.8.19 को सुनाया गया।

16/8/19

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)